कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001
email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट udh.rajasthan.gov.in/joda Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः एफ37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2023/173 दिनांकः– 09/11/2023

–:कार्यवाही विवरण:–

जोन–4 की भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 11/2023 वीं बैठक दिनांक 05.10.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 09/2023 वीं बैठक दिनांक 06.07.2023 के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।			
1.	जोन–1	**राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा सं. 50 पार्ट के होटल प्रयोजनार्थ भूखण्ड क्षेत्रफल 8361.27 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।** **आवेदकः– श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री धनं सिंह** भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 10/2023 वीं बैठक दिनांक 05.10.2023	**समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया तथा बाद विचार विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।** • राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.01.2020 के कम में नियमानुसार फायर सेस जमा करवाया जावे। • प्रस्तावित भवन कि ऊचाई 15 मी. से अधिक है, अतः पुर्णता/अधिवास प्रमाण प्रत्र जारी करते सम स्थाई अग्निसुरक्षा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रार्थी से शपथ पत्र लिया जावे। • प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ प्राप्त की जावे कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। • प्रस्तावित भवन कि ऊचाई 15 मी. से अधिक है, अतः विनियम के प्रावधानानुसार Certificate of undertaking for compliance of the provision of N.B.C. Part – VI for Earthquake Safety लिया जावे। • भूखण्ड पर मौके पर निर्माण हैं अतः राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के कम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि में हटाये जाने बाबत प्रार्थी से Undertaking प्राप्त की जावें। • प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।
2.		**राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा सं. 25/1 के होटल प्रयोजनार्थ भूखण्ड क्षैत्रफल 8723.79 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।**	समिति द्वारा प्रकरण की पत्रावली एवं एजेण्डा नोट का अवलोकन किया गया। प्रकरण में ले–आउट प्लान अनुमोदन की कार्यवाही भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) की बैठक दिनांक 26.11.2021 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में की गयी थी। समिति बैठक के कार्यवाही विवरण में एजेन्डा संख्या 29 के बिन्दु संख्या 02 में निम्न अनुसार उल्लेख हैः– *"आवेदित भूमि पर 186' x 26' में 14 कमरे, 30' x 40' में*

		आवेदकः– श्री राजेन्द्र गोयल पुत्र श्री माधोदास जी व श्रीमती प्रेमलता गोयल पत्नि श्री राजेन्द्र गोयल भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 10/2023 वीं बैठक दिनांक 05.10.2023	*किचन 30' x 40' स्विमिंग पूल, 40' x 60' टीनशैड 70' x 70' हॉल व रूम पक्का टीनशैड गार्डन आदि निर्मित हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांकःप. 18(25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के क्रम में प्रकरण में बिना स्वीकृति निर्माण हेतु नियमानुसार राशि वसूल की जावें एवं अवैध निर्माण एक साल की अवधि में हटाये जाने बाबत् शपथ–पत्र प्राप्त किया जावें।"* **समिति द्वारा बाद विचार विमर्श प्रकरण में ले–आउट प्लान अनुमोदन समिति बैठक दिनांक 26.11.2021 में लिये गये उपरोक्त निर्णय की पालना बाबत टिप्पणी एवं वर्तमान मौका स्थिति की स्पष्ट रिपोर्ट जोन से प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।**

उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

09/11/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय) एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांकः F37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2023/ 174-178 **दिनांकः–** 09/11/2023

प्रतिलिपी :– निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (जोन–4), जो.वि.प्रा., जोधपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु।
5. एसीपी/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

09/11/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय)) एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट–"1"

जोन–4 की भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बिल्डिंग प्लान) की 11/2023 वीं बैठक दिनांक 05.10.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थीः–

1.	श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।	अध्यक्ष
2.	डॉ. हरीतिमा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
3.	श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4.	श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
5.	श्री श्रवणसिंह राजावत, उपायुक्त (जोन–4) जो.वि.प्रा. जोधपुर	सदस्य
6.	श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव

09/11/2023

उप नगर नियोजक (द्वितीय) एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर